28/8/18	आज यह पत्रावली ... लोक अदालत एव कैम्प कोर्ट ... 2018 ... पेश हुई। मुकाम ... पक्षकारान ... उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली ... लोटाई जाती है। पत्रावली ... 1/10/18 को न्यायालय में पेश हो।
1/10/18	पत्रावली पेश हुई। अधि... उपस्थित मंत्रालयिक कार्मिको की हडताल ... पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 10/12/18 को पेश है।
10/12/18	वकील वादी उप०/ प्रति० सं० 1 उप० नहीं वकील वादी प्रति० सं० 1 के विरुद्ध तलबी हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रति० सं० 1 दि० 13/2/19 को पेश हो।
13/2/19	[illegible]

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 594/2013

रज्जु दिनांक : 01/11/2013

निर्णय दिनांक : 13/02/14

प्रभू पुत्र देवीलाल, जाति बलाई, निवासी लाम्बीयाकलां, तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा, राज0।

-- वादी

बनाम

1. अजय बोहरा पुत्र श्यामसुन्दर बोहरा, जाति ब्राहाम्ण, निवासी 179, शिल्प कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर, जिला जयपुर, राज0।
2. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. सबरजिस्ट्रार, मौजमाबाद, जिला जयपुर।

-- प्रतिवादीगण

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री उदय सिंह चौधरी
श्री बलविन्द्र सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।
प्रतिवादी संख्या 2 व 3 फोरमल पक्षकार हैं।

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 13/2/14

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 के आराजी खाता संख्या 29 के आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसका वादी एकमात्र् रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर काबिज काश्त हैं।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आराजीयात वादी की क्रयशुदा आराजीयात है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 376 वादी के हक में तस्दीक हो चुका है, इस प्रकार उक्त आराजीयात वादी की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात है, जिससे प्रतिवादी या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एंव सरोकार नही है। दिनांक 11/10/2013 को प्रतिवादी संख्या 1 वादी के ग्राम लाम्बीयाकलां आया तथा वादी को उक्त आराजीयात को पांच वर्ष हेतु टाटा की गाडीया खडी करने हेतु किराये पर देने हेतु प्रस्ताव रखकर किरायानामा तेयार कराने का बहाना करके वादी से खाली कागजों पर तथा खाली स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवाकर ले आया। वादी भोला व अनपढ व्यक्ति है, इस बात को वादी समझ नही पाया। वादी ने अन्य लोगों से जानकारी की तो वादी को शक हुआ कि वादी की उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 इन खाली कागजों व स्टाम्पों पर हस्ताक्षर करवाकर अन्य किसी को बैचान कर देगा और वादी को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित कर देगा, इसलिये वादी ने प्रतिवादी के उक्त आपराधिक कृत्य के लिये पुलिस थाना रायला जिला भीलवाडा में रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जो जेर अनुसंधान है। वादी उक्त आराजीयात से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही होते हुये भी खाली कागजों पर कराये हस्ताक्षरों का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 वादी की आराजी से वादी को बेदखल करना चाहता है एवं विवादित आराजी का दीगर व्यक्तियों को बैचान करने पर आमादा हैं, जिस बाबत प्रतिवादी ने वादी को धमकी भी दी हे, इसलिये वादी को अपने हितों की रक्षार्थ यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न ही वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा न ही वादी की आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन, बेय, मुन्तकिल करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।"

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 11/06/2016 को पत्रावली कैम्प कोर्ट गिदानी में पेश हुयी। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादी साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 खाता संख्या 29, नकल विकय–पत्र दिनांक 31/12/2012, प्रार्थना–पत्र थाना रायला, जिला भीलवाडा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2065 से 2068 के खाता संख्या 29 के अनुसार विवादित आराजी का वादी खातेदार काश्तकार हैं, वादी ने अपने वाद में अंकित किया है कि "प्रतिवादी संख्या 1 विवादित आराजी का पडौसी खातेदार काश्तकार है, वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य किसी का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है, बावजूद इसके प्रतिवादी संख्या 1 जबरन वादी को उसकी भूमि से बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, इसलिये उसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।" प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामिल के उपस्थित नही हुआ है तथा न ही उसकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुयी हैं, यदि प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के वाद बाबत किसी प्रकार की आपत्ति होती तो अपना उज्र जरूर प्रस्तुत करता, लेकिन ऐसा नही हुआ, चूंकि वादी विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, इसलिये एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने वालों को कानूनन पाबन्द किया जाना चाहिये। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि पैरोकार सरकार है, जिसने न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर अपना जवाब पेश किया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु अनुशंषा की हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन उपरान्त वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 641 रकबा 2.03 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर वाके ग्राम गिदानी,

Scanned by CamScanner

तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न ही वादी को बेदखल करें पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिग्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) एवं सिविल न्यायाधीश (क.खं.)

इजलास श्री [illegible] आर.जे.एस.

[illegible] बनाम [illegible]

दावा बाबत [illegible]

मुकदमा न. 594/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री [illegible] चौधरी

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

हाजिरी मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

आदेश : वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी क्र. 1 को [illegible] किया जाता है कि [illegible] खसरा नं. 641 रकबा 2.03 हे० [illegible]

बाबत [illegible] फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक [illegible] का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 2 सन् 19 को

जारी की गई।

(फास्ट ट्रैक) [illegible]

दस्तखत

ओहदा

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner